

# कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / स-2 / 60115 / इन्सपायर अवार्ड / 2017-18 /

दिनांक : 04.04.17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

- विषय :- इन्सपायर अवार्ड-मानक सत्र 2017-18 विद्यार्थी नॉमिनेशन के क्रम में ऑनलाईन सिस्टम पर कार्य की तिथियों की घोषणा।
- प्रसंग :- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र क्रमांक 12011/71/2015-INSPIRE दिनांक 30.03.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक के क्रम में लेख है कि जैसा कि आप सभी को पहले से अवगत है कि इन्सपायर अवार्ड स्कीम का स्वरूप बदल दिया गया है अब यह स्कीम इन्सपायर अवार्ड-मानक के नाम से कुछ नये स्वरूप में सत्र 2017-18 में क्रियान्वित होगी।

वर्ष 2017-18 में ऑनलाईन नॉमिनेशन E-MIAS पर दिनांक 15.03.2017 तक प्राप्त किए गए थे। वे अब नवीन निर्देशानुसार पुनः दिनांक 01.04.2017 से प्रारम्भ हो चुके हैं जो कि 30.06.2017 तक प्रत्येक विद्यालय के लिए खुले रहेंगे। आप अपने जिले के समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को नवीन योजना के संबंध में निर्देशित करें।


वर्ष 2017-18 में किए जाने वाले कार्य हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखें :-

1. आपके जिले के वे विद्यालय जो कि ई-मेनेजमेन्ट ऑफ इंसपायर अवार्ड स्कीम (E-MIAS) सिस्टम पर रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें संबंधित पोर्टल ([www.inspireawards-dst.gov.in](http://www.inspireawards-dst.gov.in)) पर रजिस्टर करने हेतु अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देशित करें ताकि समस्त छात्र/छात्राओं का नॉमिनेशन विद्यालय द्वारा इस स्कीम हेतु किया जा सके। नॉमिनेशन प्रक्रिया के पश्चात DST एवं NIF द्वारा चयनित विद्यार्थियों के खाते में रु 5000 डीबीटी द्वारा जमा करवा दिए जाएंगे।
2. इस वर्ष से विद्यार्थी का नॉमिनेशन उनके द्वारा दिए गए innovative idea की गुणवत्ता के अनुसार होगा न कि गत वर्षों से चली आ रही गणित + विज्ञान में अर्जित किए अधिकतम प्राप्तांकों की परिपाटी के आधार पर। इस हेतु संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को नवीन idea प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करें तथा विद्यालय स्तर पर प्रदर्शनी आयोजित कर कक्षा 6 से 10 तक के सर्वोत्कृष्ट 2-3 ideas को नॉमिनेट कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतियोगी भावना का विकास होगा और हमें उत्तम ideas प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही इस वर्ष से प्रत्येक विद्यालय (राजकीय, गैर राजकीय अनुदानित या गैर अनुदानित, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या लोकल बॉडिज द्वारा संचालित) हर वर्ष अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का नॉमिनेशन कर सकेगा, पूर्व में यदि एक बार नॉमिनेशन कर दिया है तो पंचवर्षीय योजना में अग्रिम वर्षों में विद्यालय के छात्रों को इंसपायर अवार्ड प्राप्त नहीं हो पाता था परन्तु अब से यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है।
3. यह भी ध्यान रखें कि इस वर्ष से विद्यार्थियों को नॉमिनेट करते समय उनके innovative idea का सारांश (synopsis) word या pdf format में अपलोड

करना आवश्यक है। इसको अपलोड न करने की स्थिति में विद्यार्थी का चयन योजना में नहीं किया जा सकेगा तथा संस्था प्रधान से इसका कारण भी पूछा जा सकता है।


4. जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में चयनित हो कर राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में से 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें अपने innovative idea को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 20,000 रु पुनः उनके खाते में डीबीटी द्वारा जमा करवा दिए जाएंगे। विद्यार्थी के idea को मॉडल के रूप में लाने के लिए NIF के वैज्ञानिक विद्यार्थी की साहयता करेंगे।
5. उक्त चयनित मॉडल राष्ट्र स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में भाग लेंगे। इस प्रदर्शनी में चयनित कतिपय नवाचारी मॉडल विद्यार्थी के नाम से पेटेन्ट कराने में TIFAC नामक संस्था विद्यार्थियों का मार्गदर्शन एवं सहायता करेगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में वर्णित प्रशिक्षण एवं कार्यशाला में आपके जिले के शैक्षिक प्रकोष्ठ अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला स्तर पर गठित तीन सदस्यीय दल को दिए जा चुके हैं। वे समस्त अपने दायित्व का पूर्ण मनोयोग से पालन करते हुए जिले में वर्ष 2017-18 का इंस्पायर अवार्ड संबंधित समस्त कार्य सम्पादित करावें।

  
(बी.एल.स्वर्णकार)  
आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भिजवाकर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ जिला कार्यालयों को उक्त समस्त कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
4. रक्षित पत्रावली।

  
प्रभारी अधिकारी  
छात्रवृत्ति अनुभाग  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर